

विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 19 अक्टूबर, 2007 को पूर्वाह्न 10.30 बजे आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 19वीं बैठक का कार्यवृत्त

अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध अनुरोधों पर विचार करने के लिए एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की उन्नीसवीं (19वीं) बैठक श्री गोपाल के पिल्लई, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 19 अक्टूबर, 2007 को पूर्वाह्न 10.30 बजे कमरा नंबर 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट)।

अध्यक्ष ने अनुमोदन बोर्ड के सदस्यों को सूचित किया कि एसईजेड स्थापित करने के लिए अब तक 395 औपचारिक अनुमोदन प्रदान किए गए हैं जिसमें से 156 एसईजेड अधिसूचित किए गए हैं। उन्होंने सूचित किया कि इन अधिसूचित एसईजेड में 50906 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है तथा यह कि एसईजेड अधिनियम के अधिनियमन के बाद एसईजेड यूनिटों में 72168 व्यक्तियों को सीधा रोजगार प्रदान किया गया है। इसके बाद चर्चा के लिए बैठक का एजेंडा लिया गया।

मुख्य एजेंडा

1. खजराणा, एबी रोड, बाईपास, इंदौर, मध्य प्रदेश में 10.343 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मालवा आईटी पार्क लिमिटेड का अनुरोध (मुख्य एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने खजराणा, एबी रोड, बाईपास, इंदौर, मध्य प्रदेश में मालवा आईटी पार्क लिमिटेड द्वारा 10.343 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. टी बेगुर गांव, नीलमंगल तालुक, बंगलौर देहात जिला, कर्नाट में 12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए केमवेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मुख्य एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 2) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सैद्धांतिक अनुमोदन की सिफारिश की क्योंकि विकासक का भूमि पर पूर्ण कब्जा नहीं है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि चूंकि जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए न्यूनतम अपेक्षित भूमि केवल 10 हेक्टेयर है जिसका संयोजन करना कठिन नहीं है और यह कि विकासक भूमि पर पूर्ण कब्जा प्राप्त करने के बाद औपचारिक अनुमोदन के लिए आवेदन कर सकता है। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

3. हूडी गांव, केआर पुरम, ह्वाइटफील्ड, बंगलौर, कर्नाटक में 10.53 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस और साफ्टवेयर विकास के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए गोपालन एंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मुख्य एजेंडा, अनुबंध 1, क्रमांक 3) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक लगभग 22 एकड़ भूमि का मालिक है और शेष भूमि जो मैसर्स एजटेकसाफ्ट लिमिटेड के कब्जे में है जो सह विकासक बनना चाहता है, ने विकासक अर्थात् मैसर्स गोपालन एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पट्टा पर दी है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि मैसर्स एजटेकसाफ्ट लिमिटेड द्वारा उप पट्टा के लिए केआईएडीबी ने मंजूरी प्रदान की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने हूडी गांव, केआर पुरम, ह्वाइटफील्ड, बंगलौर, कर्नाटक में 10.53 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गोपालन एंटरप्राइजेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस और साफ्टवेयर विकास के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. ग्राम वल्लूर, पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में 136.38 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन एसईजेड स्थापित करने के लिए जाफना चेन्नई बिजनेस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मुख्य एजेंडा, अनुबंध 1, क्रमांक 4) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक संयुक्त उद्यम कंपनी है। यह भी नोट किया गया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम वल्लूर, पोन्नेरी तालुक, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में 136.38 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जाफना चेन्नई बिजनेस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. आसनसोल, पश्चिम बंगाल में 10.207 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए बंगाल सृष्टि इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड का अनुरोध (मुख्य एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 5) :

राज्य सरकार ने पुष्टि की कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। यह भी नोट किया गया कि गृह मंत्रालय ने परियोजना के लिए अभी तक सुरक्षा स्वीकृति प्रदान नहीं की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने आसनसोल, पश्चिम बंगाल में 10.207 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बंगाल सृष्टि इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय से सुरक्षा स्वीकृति के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

6. आईटी प्लाट IIएफ/3, ऐक्शन एरिया II, न्यू टाउन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 16.19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध (मुख्य एजेंडा, अनुबंध 1, क्रमांक 6) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने आईटी प्लाट IIएफ/3, ऐक्शन एरिया II, न्यू टाउन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 16.19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

7. ग्राम खैरीवली, वाडा तालुक, जिला थाणे, महाराष्ट्र में 27.24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सलोनी बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मुख्य एजेंडा, अनुबंध 1, क्रम संख्या 7) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी अब औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम खैरीवली, वाडा तालुक, जिला थाणे, महाराष्ट्र में 27.24 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सलोनी बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

8. त्रिवेणी नगर, बडकपाट्टूर, डाकघर सिंगापेरुमल कोली चंगलपट्टूर, चेन्नई, तमिलनाडु में 42.49 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए ब्लू विजन कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मुख्य एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 8) :

इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया तथा यह भी निदेश दिया कि गृह मंत्रालय से भी प्रस्ताव की जांच करने का अनुरोध किया जा सकता है।

9. खालापूर गांव, तालुक खोपोली, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 14.77 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए माडर्न इंडिया प्रापर्टी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध (मुख्य एजेंडा, अनुबंध 1, क्रमांक 9) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने खालापूर गांव, तालुक खोपोली, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 14.77 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में माडर्न इंडिया प्रापर्टी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस सहित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

10. प्लाट नंबर 6, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए परफेक्ट आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मुख्य एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 10) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने भूमि पर कब्जा होने की पुष्टि की। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्लाट नंबर 6, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में परफेक्ट आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

11. प्लाट नंबर 7, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए आचविस साफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में फाल्कॉन कॉमर्सियल डवलपर्स लिमिटेड) का अनुरोध (मुख्य एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 11) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि पट्टा विलेख निष्पादित किया गया है परंतु अभी तक विकासक को भूमि का कब्जा नहीं दिया गया है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यदि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तो औपचारिक अनुमोदन प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

12. सेक्टर 143ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10.026 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए डीएलएफ कॉमर्सियल डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध (मुख्य एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 12) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि आवेदक को भूमि का कब्जा देने की प्रक्रिया में अभी भी कुछ और समय लगेगा। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यदि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है तो औपचारिक अनुमोदन प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

13. प्लाट नंबर 1, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए यूनीटेक हाइटेक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मुख्य एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 13) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि आवेदक को भूमि का कब्जा देने की प्रक्रिया में अभी भी कुछ और समय लगेगा। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यदि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं

है तो औपचारिक अनुमोदन प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

14. ग्राम शिरगांव, कोशिंबे, गासकोपरी, दहीसर, चंदनसर, खराडी, कोपरी, भटपाडा, डोलिव, कसराली, जिला थाणे, महाराष्ट्र में 2245 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना के लिए प्रिविलेज पावर एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मुख्य एजेंडा, अनुबंध 1 की क्रम संख्या 14) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधिने सूचित किया कि भूमि विकासक के कब्जे में नहीं है और भूमि के क्रय के लिए अभी तक अपेक्षित अनुमति प्रदान नहीं की गई है। राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम शिरगांव, कोशिंबे, गासकोपरी, दहीसर, चंदनसर, खराडी, कोपरी, भटपाडा, डोलिव, कसराली, जिला थाणे, महाराष्ट्र में 2245 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में प्रिविलेज पावर एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

15. ग्राम खोराज, तहसील एवं जिला गांधीनगर, गुजरात में 16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए कलिका कंस्ट्रक्शंस इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मुख्य एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 15) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह ऐसा मामला है जहां अनुमोदन बोर्ड ने पहले औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया था। तथापि, इसके बाद, राज्य सरकार ने अनुमोदन को वापस लेने का निर्णय लिया और अब लोकेशन में परिवर्तन के साथ राज्य सरकार से संशोधित सिफारिश प्राप्त हुई है। इसे ध्यान में रखते हुए, अनुमोदन बोर्ड ने 16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स कलिका कंस्ट्रक्शंस इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड को पहले प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को ग्राम खोराज, तहसील एवं जिला गांधीनगर, गुजरात में शिफ्ट करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया। आगामी विधान सभा चुनावों के कारण आदर्श आचार संहिता के लागू होने को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि ट्रांसफर के लिए अनुमोदन भारत निर्वाचन आयोग से स्वीकृति के अधीन होगा।

19. तिरुवल्लूर और कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक्स और इलेक्ट्रिकल उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए श्रीपरंबदूर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 4) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। राज्य सरकार ने भी सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने तिरुवल्लूर और कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में श्रीपरंबदूर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड

द्वारा इलेक्ट्रानिक्स और इलेक्ट्रिकल उत्पादों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

20. कोयंबटूर, तमिलनाडु में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए राकिंडो कोवई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 5) :

राजस्व विभाग ने बताया कि प्रस्तावित एसईजेड क्षेत्र में 'दरगाह' की इमारत मौजूद है। तथापि, राज्य सरकार तथा टिडको के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि ऐसी कोई इमारत नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि खाली पड़ी है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने कोयंबटूर, तमिलनाडु में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में राकिंडो कोवई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए संबंधित विकास आयुक्त द्वारा भूमि के खाली पड़े होने और संस्पर्शी होने के बारे में सत्यापन के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

22. विल्लूपुरम जिला, तमिलनाडु में 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए सेंगाडु प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा, अनुबंध 1 का क्रमांक 7) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा नहीं है। राज्य सरकार ने भी सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने विल्लूपुरम जिला, तमिलनाडु में 1000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सेंगाडु प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 2 : सह विकासक के लिए प्रस्ताव

(i) दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल में मैसर्स एम एल डाल्मिया एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड के 11.6 एकड़ के सह विकासक के रूप में मैसर्स कोलकाता आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राज्य सरकार ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(ii) डूंडाहेरा, गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड (तत्कालीन आईएसटी लिमिटेड) द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स यूनीटेक लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार ने अनुमोदन बोर्ड की पिछली बैठक में प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया था क्योंकि राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि नए नाम में भूमि प्रयोग परिवर्तन की अनुमति प्रदान न किए जाने के कारण नए नाम में भूमि अंतरित नहीं की गई है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि राज्य सरकार ने अब मैसर्स गुडगांव इनफोस्पेस लिमिटेड के नाम में भूमि के अंतरण के लिए इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की है कि कंपनी को मैसर्स आईएसटी लिमिटेड का न्यूनतम 51 प्रतिशत शेयर अपने पास रखना चाहिए। तथापि, चूंकि यह स्पष्ट नहीं था कि उक्त शर्त पूरी हुई या नहीं और यह भी कि यह स्पष्ट नहीं था कि प्रस्ताव में कौन सह विकासक है, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(iii) कालमसेरी, केरल में मैसर्स किनफ्रा द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एसईजेड के 12.14 हेक्टेयर के सह विकासक के रूप में मैसर्स नेस्ट हाइटेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स एसएफओ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की एसपीवी) का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध पर विचार किया तथा विस्तृत विचार विमर्श के बाद मैसर्स किनफ्रा द्वारा कालमसेरी, केरल में विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स नेस्ट हाइटेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।

(iv) ग्राम बेलांडुर, बंगलौर पूर्व तालुक, कर्नाटक में मैसर्स प्राइमल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में 6.503 हेक्टेयर के सह विकासक के रूप में मैसर्स आरजीए साफ्टवेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

राज्य सरकार ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।"

(v) एनएमएसईजेड डवलपमेंट कंपनी (पूर्व में सिडको) द्वारा विकसित किए जाने वाले बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए प्रस्ताव

राजस्व विभाग ने अनुमोदन बोर्ड के निर्णय की ओर ध्यान आकृष्ट किया कि क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक द्वारा 250 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना चाहिए तथा उसका निवल मूल्य 50 करोड़ रुपए होना चाहिए। इसी तरह, बहु उत्पाद एसईजेड में ये सीमाएं क्रमशः 1000 करोड़ रुपए और 250 करोड़ रुपए हैं। तदनुसार, निवल मूल्य की कसौटी को पूरा करने के लिए 550 करोड़ रुपए के कुल निवल मूल्य की आवश्यकता होगी। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि जय कार्पोरेशन जिसे 7 कंपनियों के संबंध में मुख्य प्रमोटर बताया गया है, का निवल मूल्य मात्र 338.84 करोड़ रुपए है। स्पष्ट किया गया कि यद्यपि विकासक के लिए निवल मूल्य की कसौटी पर सहमति हुई थी परंतु यह निर्णय लिया गया था कि सह विकासक के निवल मूल्य की जांच की जाएगी परंतु सह

विकासकों के लिए निवल मूल्य की ऐसी कोई न्यूनतम कसौटी निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि सह विकासक की नियुक्ति के बावजूद अवसंरचना सुविधाओं का विकास विकासक की जिम्मेदारी बनी रहती है। यह भी सूचित किया गया कि विकासक के लिए निवल मूल्य की कसौटी निर्धारित की गई ताकि एसईजेड में निवेश करने वाली यूनिटें ऐसे विकासक के प्रति आश्वस्त महसूस कर सकें जिसमें एसईजेड का विकास करने एवं प्रचालन करने की क्षमता है और ऐसे आवेदक गौण बाजार पर नजर रखते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत न कर सकें जो गंभीर नहीं हैं। सह विकासक किसी खास प्रयोजन के लिए होता है और विकासक साथ उनके करार के आधार पर अनुमोदित किया जाता है, जिसके निवल मूल्य की जांच की जा चुकी होती है। भले ही कोई खास सह विकासक विफल हो जाए, एसईजेड यूनिटों, निवेशकों के हितों के लिए समग्र जिम्मेदारी रखने वाला विकासक सुरक्षित होगा। तथापि, इस बात पर सहमति हुई कि वर्तमान मामले में चूंकि सह विकासकों द्वारा प्रस्तावित अवसंरचना की लागत काफी अधिक है, इसलिए तर्कसंगत निवल मूल्य अनिवार्य होगा।

इसके बाद मैसर्स जय कार्पोरेशन जो सह विकासक के लिए आवेदकों, मुख्य प्रमोटरों में प्रमुख हितधारकों में से एक था, के प्रतिनिधि ने प्रमोटर के वित्तीय पहलुओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी। प्रस्तुति के दौरान विकासक ने सूचित किया कि जय कार्पोरेशन नवी मुंबई एसईजेड और मुंबई एसईजेड के प्रायोजकों में से एक है। उन्होंने बताया कि जय कार्पोरेशन ने एसईजेड में अवसंरचना विकास की गतिविधियां संचालित करने के लिए 7 कंपनियों को प्रमोट किया है। विकासक ने अनुमोदन बोर्ड को संबंधित प्रस्तावों में सह विकासक की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी प्रदान की। विकासक ने यह भी बताया कि जय कार्पोरेशन के प्रमोटर ने जय कार्पोरेशन ने अपनी इक्विटी होल्डिंग को तनुकृत किया है और लगभग 2200 करोड़ रुपए का नकदी प्रवाह सृजित किया है। उन्होंने यह भी बताया कि जय कार्पोरेशन के प्रमोटर 31 अक्टूबर 2007 तक जय कार्पोरेशन में कम से कम 1000 करोड़ रुपए का निवेश करने का वचन देने के इच्छुक हैं और यह कि 31 मार्च 2008 तक उनका निवल मूल्य 2500 करोड़ रुपए या अधिक होगा।

विस्तृत विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने मैसर्स जय कार्पोरेशन के निवल मूल्य में उपयुक्त ढंग से वृद्धि के लिए निधियों के नए प्रवाह के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त होने के अधीन प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 3 : क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए अनुरोध

(i) खराडी गांव, पुणे, महाराष्ट्र में अधिसूचित हो चुके एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स ईयॉन खराडी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(ii) मिहान एसईजेड में 66.90 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल शामिल करने के लिए महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी का अनुरोध

विकास आयुक्त ने पुष्टि की है कि एसईजेड में शामिल करने के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त क्षेत्र संस्पर्शी है और विकास आयुक्त ने विभाग को प्रस्तुत अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में इसका संकेत दिया है। तदनुसार, अनुमोदनप बोर्ड ने नागपुर, महाराष्ट्र में मिहान एसईजेड में 69.90 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल शामिल करने के लिए मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 4 : बीकानेर, राजस्थान में 101.17 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में वुलेन के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए आरएनबी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (मुख्य एजेंडा का क्रमांक 4) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसपीवी कंपनी के नाम में भूमि अंतरित नहीं की गई है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने एसपीवी कंपनी के नाम में भूमि का अंतरण होने तक प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 5 : मैसर्स मैगनम एविएशन (प्राइवेट) लिमिटेड का प्रस्ताव

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया तथा निर्देश दिया कि प्रस्ताव पर नागर विमानन मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय की टिप्पणियां प्राप्त की जा सकती हैं।

मद संख्या 6 : लोकेशन को परिवर्तित करने के लिए अनुरोध

(i) दमताल, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मेसर्स डीएस कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड का प्रस्ताव

नोट किया गया कि प्रस्ताव के लिए राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(ii) भीमासार, तालुक अंजार, जिला कच्छ, गुजरात में पॉलिमर आधारित एसईजेड की स्थापना के लिए मैसर्स एशिया पैसिफिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध

नोट किया गया कि प्रस्ताव के लिए राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(iii) गांव एन्नोर, वेंगल, मयूर, पंजत्ती, चेन्नई, तमिलनाडु में बहु उत्पाद एसईजेड की स्थापना के लिए मैसर्स एमपीपीएल रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि यह प्रस्ताव बहु उत्पाद एसईजेड के लिए न होकर नवीकरणीय ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए है। राज्य सरकार ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने गांव एन्नोर, वेंगल, मयूर, पंजत्ती, चेन्नई, तमिलनाडु में नए स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए मैसर्स एमपीपीएल रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन के लोकेशन में परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान की।

मद संख्या 7 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) नवालूर, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स आईए टेक्नोफोपार्क लिमिटेड का अनुरोध

विकासक के प्रतिनिधि ने विषय पर संक्षिप्त प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 1 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों के लिए मंजूरी प्रदान की।

(ii) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 2 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iii) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ असेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में 2.8 मिलियन वर्गफीट के क्षेत्रफल में कार्यालय स्थान (वार्म शेल) के लिए मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(iv) कोयंबटूर, तमिलनाडु में मैसर्स कोयंबटूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स केजीआईएसएल आईटी पार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 3 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया कि विकासक से निम्नलिखित गतिविधियों के संबंध में मात्रा का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है, जिसकी प्राप्ति पर अनुमोदन बोर्ड की बैठक में इन गतिविधियों पर विचार किया जा सकता है।

1. अस्पताल, क्लीनिक और मेडिकल सेंटर
2. आवास और/या सर्विस अपार्टमेंट
3. शॉपिंग आर्केड / रिटेल स्पेस / मल्टीप्लेक्स
4. होटल / सर्विस अपार्टमेंट
5. स्कूल / शैक्षिक संस्थाएं
6. विद्युत (पावर बैकअप के लिए सुविधाएं सहित)
7. मल्टी लेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)

(v) औरंगाबाद में 100.26 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आटोमोबाइल और आटोमोबाइल कंपोनेंट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स बजाज आटो लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 4 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। पावर बैकअप की सुविधा केवल कैप्टिव प्रयोजनों के लिए प्रयोग तक सीमित होगी।

(vi) श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु में नोकिया टेलीकॉम एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स नोकिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

नोट किया गया कि विकासक ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया है। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।"

(vii) पुणे, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ आकृति इंफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड का अनुरोध

विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 5 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया। विद्युत उत्पादन केवल कैप्टिव प्रयोजन के लिए प्रयोग तक सीमित होगा।

(viii) गुडगांव, हरियाणा में वस्त्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स ओरियंट क्राफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विकासक के प्रतिनिधि ने विषय पर संक्षिप्त प्रस्तुति दी। विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अनुबंध 6 के अनुसार अधिकृत गतिविधियों को मंजूरी प्रदान करने का निर्णय लिया।

(ix) कोचीन पोर्ट में पुथुव्यपीन एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के अनुमोदन के लिए अनुरोध

विकासक के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव पर प्रस्तुति दी। विकासक ने बताया कि प्रस्ताव वेजल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (वीटीएमएस) सेंटर की स्थापना के लिए है। संपूर्ण पोर्ट क्षेत्र की निगरानी के लिए इस सिस्टम की स्थापना आवश्यक है। विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने वीटीएमएस के उस अंश के लिए मंजूरी प्रदान की जो भौतिक रूप में एसईजेड के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है।

(x) गुड़गांव, हरियाणा में बहु सेवा एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स उप्पल डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

नोट किया गया कि विकासक ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया है। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

(xi) संकोल, तालुक मार्मुगोवा, गोवा में बायोटेक एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के अनुमोदन के लिए मैसर्स पेनिनसुला फर्मा रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

नोट किया गया कि विकासक ने डिफाल्ट गतिविधियों से भिन्न गतिविधियों के आस्थगन के लिए अनुरोध किया है क्योंकि सामाजिक अवसंरचना सहित अन्य अपेक्षित अवसंरचना की मात्रा उनके मास्टर प्लानर द्वारा तैयार की जा रही है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने डिफाल्ट गतिविधियों से भिन्न गतिविधियों के संबंध में प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 8 : फाल्टा एसईजेड से कांडला एसईजेड में यूनिट को ट्रांसफर करने के लिए मैसर्स गुजरात टेक्सटाइल का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा नोट किया गया कि वर्तमान एजेंडा मैसर्स गुजरात टेक्सटाइल के श्री तनसुख शाह को निजी सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध है। श्री तनसुख शाह ने बताया कि फाल्टा एसईजेड में प्रयुक्त कपड़ों के पृथक्करण के लिए उनकी केवल एक यूनिट है तथा ऐसी सभी अन्य यूनिटें कांडला में स्थित हैं। उन्होंने बताया कि चूंकि कांडला में प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध है क्योंकि यह कांडला में प्रयुक्त कपड़ों के लिए क्लस्टर के रूप में विकसित हो गया है, इसलिए उनकी परियोजना कांडला में अधिक लाभप्रद होगी। उन्होंने यह भी बताया कि चूंकि बंगलादेश में ऐसे माल के लिए अधिक बाजार नहीं है इसलिए उनको कांडला एसईजेड में शिफ्ट करने की अनुमति दी जाए। पूछने पर उन्होंने पुष्टि की कि यदि 31 दिसंबर 2007 के बाद ऐसी यूनिटों की वैधता अवधि बढ़ाई जाएगी तो ही वे कांडला एसईजेड में शिफ्ट करेंगे। मामले के रिकार्डों तथा श्री शाह द्वारा पेश की गई दलीलों की विस्तृत जांच करने पर अनुमोदन बोर्ड ने समुक्ति की कि :

- (i) एसईजेड नियमावली 2006 के अनुसार इस क्षेत्र के लिए नया अनुमोदन पत्र जारी नहीं किया जा सकता है;
- (ii) इस एलओए की वैधता केवल 31 दिसंबर 2007 तक है;

19 अक्टूबर, 2007 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 19वीं बैठक का कार्यवृत्त

- (iii) मौजूदा यूनिट को फाल्टा से कांडला में अंतरित करना संभव नहीं होगा क्योंकि वैधता अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है;
- (iv) पुरानी यूनिटों को दूसरे एसईजेड में शिफ्ट करने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

विस्तृत विचार विमर्श के बाद, अनुमोदन बोर्ड ने अनुरोध को अस्वीकार करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 9 : मंजूरी पत्र के निरसन के आदेश के विरुद्ध मैसर्स क्रिस्टल पॉलीमर इंपेक्स जो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिट है, की अपील

चूंकि विकास आयुक्त उपलब्ध नहीं थे, इसलिए सदस्य सचिव ने कांडला एसईजेड प्रस्ताव के लिए अनुमोदन समिति द्वारा एलओए के निरसन के विरुद्ध अपील को आस्थगित करने का अनुरोध किया। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 10 : पुथुव्यपीन में एसईजेड में जल क्षेत्र को जोड़ने के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट का अनुरोध

अधिसूचित एसईजेड के अंग के रूप में जल क्षेत्र को शामिल करने के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि यद्यपि वे इस बात से सहमत हैं कि सिंगल प्वाइंट मूरिंग (एसपीएम) एसईजेड की अवसंरचना सुविधाओं का अंग हो सकता है परंतु अकेले कोई पोर्ट एसईजेड नहीं हो सकता है और यह कि इस खास मामले में निर्यात का प्रस्ताव करने वाली कोई यूनिट नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि एकमात्र प्रयोजन घरेलू रिफाइनरी के लिए कूड हैंडल करना है। विकास आयुक्त ने स्पष्ट किया कि इस समय केवल विकासकों और सह विकासकों अवसंरचना का विकास किया जा रहा है तथा बाद में यूनिटों की योजना बनाई जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान अनुरोध एसईजेड की सीमा में जल क्षेत्र को शामिल करने के लिए है क्योंकि स्वीकृत रूप में एसपीएम की स्थापना भूमि पर नहीं हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि एसईजेड नियमावली 2006 के प्रावधानों के अनुसार ईंधन का आयात और घरेलू रिफाइनरी को पूर्ति भी एनएफई के निर्वहन में परिणत होती है। राजस्व के विभाग के प्रतिनिधि ने एसईजेड में सृजित / प्रस्तावित अवसंरचना के उपयोग पर और स्पष्टीकरण प्रदान करने की मांग की। इसलिए, प्रस्ताव को आस्थगित करने तथा अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में उक्त एसईजेड के मास्टर प्लान पर प्रस्तुति देने के लिए विकासक को बुलाने का निर्णय लिया गया।

ईटीए टेक्नोपार्क लिमिटेड

क्र. सं.	गतिविधि	प्रस्तावित मात्रा	अनुमोदित मात्रा
1	फूड कोर्ट	6000 वर्गमीटर	6000 वर्गमीटर
2	शॉपिंग मॉल*	20000 वर्गमीटर	8000 वर्गमीटर
3	मल्टीप्लेक्स	7000 वर्गमीटर	7000 वर्गमीटर

* रेस्टोरेंट, हेल्थ क्लब, जिम को छोड़कर

19 अक्टूबर, 2007 को आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 19वीं बैठक का कार्यवृत्त

अनुबंध 2

डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड

क्र. सं.	गतिविधि	प्रस्तावित मात्रा	अनुमोदित मात्रा
1	सर्विस अपार्टमेंट	15,000 वर्गमीटर	15,000 वर्गमीटर
2	आवासीय अपार्टमेंट	50,000 वर्गमीटर	50,000 वर्गमीटर

केजीआईएसएल आईटी पार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

1. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
2. कार्यालय स्थान के लिए सुविधाओं के साथ आईटी बिल्डिंग / पार्क का निर्माण, जैसे कि
 - (क) एयर कंडिशनिंग
 - (ख) वेंटीलेशन
 - (ग) फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
 - (घ) सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी)
 - (ङ) डीजी सेट के साथ इलेक्ट्रिकल सिस्टम
 - (च) सेफ्टी अर्थिंग, लाइटनिंग प्रोटेक्शन और एविएशन वार्निंग
 - (छ) एलीवेटर
 - (ज) दूरसंचार प्रणाली
 - (झ) पब्लिक अड्रेस / म्यूजिक सिस्टम
 - (ञ) सुरक्षा / सीसीटीवी
3. कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
4. क्लब हाउस, इंडोर या आउटडोर गेम्स, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
5. स्वीमिंग पूल
6. इंटर कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
7. लैंडस्केपिंग तथा वाटर बॉडीज

(उपर्युक्त गतिविधियां केवल प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर अनुमत होंगी)

बजाज आटो लिमिटेड

क्र. सं.	गतिविधि	प्रस्तावित मात्रा	अनुमोदित मात्रा
1	कार्यालय स्थान, बिजनेस एवं कन्वेंशन सेंटर आदि	30,000 वर्गमीटर	30,000 वर्गमीटर
2	तुला ब्रिज	500 वर्गमीटर	500 वर्गमीटर
3	फायर स्टेशन	1500 वर्गमीटर	1500 वर्गमीटर
4	पावर बैकअप की सुविधा - 20 मेगावाट की क्षमता का पावर प्लांट	5 मेगावाट के चार स्टेशन	कैप्टिव प्रयोग के लिए

डीएलएफ आकृति इनफो पार्क्स (पुणे) लिमिटेड

क्र. सं.	
	प्रसंस्करण क्षेत्र
1	मल्टी लेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल) - 7000 वर्गमीटर से अधिक नहीं
2	केवल कैप्टिव प्रयोग के लिए डीजी सेट के माध्यम से पावर बैकअप की सुविधाओं सहित विद्युत उत्पादन
3	क्लब हाउस, इंडोर और आउटडोर गेम्स, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
4	कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि क्रेच, चिकित्सा केन्द्र
5	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, कैंटीन एवं कैटरिंग की सुविधाओं सहित फूड सर्विस
6	वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
7	डाटा केंद्र
8	शॉपिंग अर्काडे और रिटेल स्पेस
9	व्यवसाय और सम्मेलन केन्द्र

ये गतिविधियां केवल प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर अधिकृत हैं।

ओरिएंट क्राफ्ट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

क्र. सं.	गतिविधि	प्रस्तावित मात्रा (वर्गमीटर में)	अनुमोदित मात्रा (वर्गमीटर में)
1	रिटेल स्पेस	24500	केवल मास्टर प्लान के प्रयोजनार्थ 24500 वर्गमीटर के सैद्धांतिक अनुमोदन के साथ 10000
2	टेक्सटाइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज कम्प्लेक्स	4700	4700
3	लॉजिस्टिक्स कंपनी कम्प्लेक्स का कार्यालय	4200	4200
4	विदेशी क्रेताओं के लिए कार्यालय	30000	10000
5	क्रेता एजेंटों के लिए कार्यालय	30000	5000
6	असेसरीज सोर्सिंग सेंटर - ट्रिम मार्केट कम्प्लेक्स	14000	3000
7	मल्टीप्लेक्स एंटरटेनमेंट कम्प्लेक्स	14000	7000
8	डिजाइन स्टूडियो	35000	7000
9	हाउसिंग (सभी मल्टी स्टोरी)	357500	357500
10	सर्विस अपार्टमेंट	21000	10000
11	डिस्पेंसरी कम हॉस्पिटल	14000	14000
12	क्रेच / नर्सरी / प्राइमरी स्कूल	4000	4000
13	सेकंडरी स्कूल	8000	8000
14	व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र	10000	10000
15	सामाजिक - सांस्कृतिक सुविधा, कनवेंशन और कम्युनिटी सेंटर	16000	5000
16	जोन आफिस, प्रशासन, अनुरक्षण, पुलिस चौकी, फायर स्टेशन आदि	6000	6000